



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 593 राँची, बुधवार

28 श्रावण, 1937 (श०)

19 अगस्त, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

11 अगस्त, 2015

विषय :- झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 एवं 245 तथा लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए राँची शहर के चिन्हित पांच प्रमुख सड़कों के समग्र विकास तथा इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन उपक्रम मेकॉन लिमिटेड की सेवाएं मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने के संबंध में।

संख्या-06A/न० वि०/विविध-24/2015-2841-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य में नागरिक सुविधाएँ बहाल करना तथा सामान्य जनता को उच्च स्तरीय जन परिवहन के साथ-साथ एकीकृत पैदल पथ (Integrated Pedestrian Path), गैर यांत्रिक परिवहन (Non-Motorized Vehicle) सुविधाएँ, पार्किंग सुविधा तथा प्रबंधन, शहरी सौन्दरीकरण इत्यादि कराना है। जनसँख्या में उत्तरोत्तर

वृद्धि तथा परिवहन के साधनों में द्रुत गति से वृद्धि के कारण परिवहन व्यवस्था के समन्वय तथा विभिन्न नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण एवं नियोजन की आवश्यकता है।

2. इस सन्दर्भ में प्रारंभिक योजना के रूप में रांची शहर के निम्नांकित पांच प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है जिनका समग्र विकास एवं आवश्यकतानुसार उनमें फ्लाईओवर निर्माण प्रस्तावित है:-

- i. एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक
- ii. राजभवन से बिरसा चौक तक (किशोरगंज होते हुये)
- iii. कांटाटोली चौक से राजभवन तक (सर्कुलर रोड होते हुये)
- iv. राजभवन से बूटी मोड़ (बरियातू रोड होते हुये)
- v. राजभवन से हिन्नु चौक (मेन रोड होते हुये)

इसके साथ ही रांची शहर में इनर रिंग रोड निर्माण का भी प्रस्ताव है जिसका मुख्य लक्ष्य शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक शहर के अंदर प्रवेश किये बगैर आवागमन सुनिश्चित करना है।

3. समग्र परिवहन व्यवस्था, आवश्यक मूलभूत आधारभूत सुविधाएँ तथा जन सामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड, रांची की सेवाएं मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

यह उपक्रम राज्य की राजधानी रांची में चिन्हित पांच प्रमुख सड़कों के समग्र विकास, इनर रिंग रोड का निर्माण, ट्रैफिक का दबाव कम करने हेतु फ्लाई ओवर/under pass निर्माण, मुख्य इलाकों में पार्क का निर्माण इत्यादि से सम्बंधित समन्वयक व्यवस्था स्थापित करने हेतु अपनी सेवाएं निम्नांकित तीन चरणों में देगा:-

- i. डी.पी.आर. विकसित करना
- ii. निविदा प्रक्रिया
- iii. कार्य निष्पादन तथा परियोजना प्रबंधन संबंधी सेवाएं (PMC-Project Management Consultancy)

4. मेकॉन लिमिटेड के द्वारा पांच प्रमुख सड़कों को पूर्ण रूप से विकसित करने का कार्य, कार्यादेश की तिथि से 36 माह के अन्दर संपन्न कर लिया जाएगा। इनर रिंग रोड पूर्ण रूप से विकसित करने का कार्य, कार्यादेश की तिथि से 50 माह की अवधि में संपन्न किया

जाएगा। उपर्युक्त दोनों कार्य यथा प्रमुख सड़क तथा इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग तथा मेकॉन लिमिटेड के बीच किए जाने वाले एकरारनामा में वर्णित timeline के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका 2 में चिन्हित पांच सड़कों के पुनरुद्धार का कार्य सम्प्रति पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, अतएव नगर विकास एवं आवास विभाग इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग एवं ऊर्जा विभाग से पारस्परिक समन्वय कर कार्य संपन्न कराएगा।

6. अपनी सेवाए प्रदान करने हेतु उपक्रम मेकॉन लिमिटेड को एकरारनामा के अनुसार निम्नांकित तीन चरणों में भुगतान देय होगा :-

- i. डी.पी.आर. विकसित करना - परियोजना लागत का 1.5%
- ii. निविदा प्रक्रिया - परियोजना लागत का 1.5%
- iii. परियोजना प्रबंधन संबंधी सेवाएं (PMC)- परियोजना लागत का 4.5%

7. उपक्रम मेकॉन लिमिटेड के साथ विभिन्न कार्यों के लिए समन्वय हेतु JUIDCO Ltd. को "नोडल एजेंसी" के रूप में नामित किया जाता है।

8. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 2015 में मद्र संख्या -03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
 सरकार के प्रधान सचिव।
